



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49]
No. 49]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 17, 2007/पौष 27, 1928
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 17, 2007/PAUSA 27, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2007

का.आ. 50(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, क्र.सं. (4) को क्र.सं. (5) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्र.सं. (5) से पूर्व निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

“(4) डॉ. जी. ओबलीसामी, — सदस्य”
सदस्य, तमिलनाडु पर्यावरण और
प्रदूषण नियंत्रण अपील प्राधिकरण

[फा. सं. जेड-20018/7/2006-सीपीए]

आर. क्रो. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थितिकी-क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण गठित करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, में सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 द्वारा प्रकाशित की गई थी, और तत्पश्चात् सं. का.आ. 710(अ) तारीख 12 अक्टूबर, 1996, सं. का.आ. 590(अ), तारीख 15 जुलाई 1998, सं. का.आ. 823(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1998, सं. का.आ. 621(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999, सं. का.आ. 972(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2001, सं. का.आ. 130(अ), तारीख 28 जनवरी 2002, सं. का.आ. 348(अ) तारीख 28 मार्च, 2002, सं. का.आ. 1044(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2002, सं. का.आ. 1063(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2004, सं. का.आ. 1432(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004 और सं. का.आ. 1639(अ), 29 सितम्बर, 2006 द्वारा संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2007.

S.O. 50(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996, namely:—

In the said notification, in paragraph 1, the serial number (4) shall be renumbered as serial number (5) and before serial number (5) so renumbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

“(4) Dr. G. Oblisamy, — Member”
Member, Tamil Nadu Environment and
Pollution Control Appellate Authority

[F. No. Z-20018/7/2006-CPA]

R. K. VAISH Jt. Secy.

Note :—The notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* numbers S. O. 671(E), dated the 30th September, 1996 and subsequently amended *vide* No. S. O. 710(E), dated the 12th October, 1996; No. S. O. 590(E), dated the 15th July, 1998; No. S. O. 823(E), dated the 16th September, 1998; No. S. O. 621(E), dated the 2nd August, 1999; No. S.O. 972(E), dated the 28th September, 2001; No. S. O. 130(E), dated the 28th January, 2002; No. S. O. 348(E), dated the 28th March, 2002; No. S. O. 1044(E), dated the 27th September, 2002; No. S.O. 1063(E), dated the 29th September, 2004, No. S. O. 1432(E), dated the 31st December, 2004 and No. S.O. 1639(E), dated 29th September, 2006.